पत्र संख्या-परि0-(07-08)- 495 /वाणिज्य कर।

कार्यालय आयुक्त वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(वैट अनुभाग)

दिनांक :: लखनऊ :: जनवरी 8 , 2008

समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

दिनांक 1-1-2008 से वैट लग जाने के बाद से विभाग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य पंजीयन का है। अत: सभी पंजीकरण प्राधिकारियों का दायित्व है कि कम से कम समय में बिना व्यापारियों को असुविधा हुए पंजीयन प्रार्थनापत्र का निस्तारण करके प्रमाणपत्र उपलब्ध करा दिया जाये। कुछ जिलों से यह सूचना प्राप्त हो रही है कि भारी संख्या में पंजीयन प्रार्थनापत्र प्राप्त हो रहे हैं। प्रार्थनापत्रों की संख्या को देखते हुए वहॉ पर पंजीकरण प्राधिकारियों की संख्या कम है। इन प्रार्थनापत्रों का निस्तारण त्वरित करना अत्यावश्यक है। अत: यह निर्णय लिया गया है कि **जनवरी, 2008 को पंजीयन माह के नाम** से मनाया जाय। सभी अधिकारी / कर्मचारी युद्ध स्तर पर लग करके पंजीयन से सम्बन्धित समस्त कार्यवाहियों का सम्पादन करेंगे। अत: तात्कालिक प्रभाव से निम्न कार्यवाही करने के निर्देश दिये जाते हैं :-

1- मुख्यालय से प्रत्येक मंडल के लिए पंजीकरण अधिकारी को नामित किया जा चुका है। यदि कहीं पंजीकरण अधिकारी की कमी हो तो आप अपने अधिकार क्षेत्र में कार्यरत असिस्टेन्ट कमिश्नर तथा वाणिज्य कर अधिकारी (वि0 नु0शा0/सचल दल)में से पंजीकरण कार्य हेतु नामित करने के लिए उनका नाम दूरभाष पर या फैक्स द्वारा मुझे सूचित कर दें जिससे उनको उसी समय नामित कर दिया जाय ताकि प्रत्येक दशा में पर्याप्त संख्या में पंजीकरण अधिकारी उपलब्ध रहें तथा इस कार्य को शीघ्रता से निष्पादन किया जा सके।

2- इसी संदर्भ में यह भी निर्देशित किया जाता है कि फार्म 7 के अंत में इन्ट्रोड्यूसर का कालम बना हुआ है। यह कालम पुराने व्यापारियों के लिए भरना आवश्यक नहीं है। जहॉ तक नये व्यापारियों का प्रश्न है, अन्य सूचनाऐं यदि सहीं पायी जाती हैं तो इन्ट्रोड्यूसर का कालम न भरने पर भी व्यापारी के प्रार्थनापत्र अस्वीकार न किये जाय। यह फील्ड मैन्डेटरी (mandatory) नहीं है।

3- फार्म 7 के साथ फार्म भरने के सम्बन्ध में निर्देश, जो संलग्न हैं, उसके क्रमांक 4 व 5 पर आवासीय पता तथा व्यापार स्थल, ब्रांच या डिपो आदि के पते को सत्यापन हेतु दो-दो प्रमाणपत्र मांगे गये हैं। व्यापारियों / अधिवक्ताओं द्वारा उठाई गयी कठिनाई तथा पंजीयन को सरल करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि यदि दो के स्थान पर एक वैध प्रमाणपत्र दाखिल कर दिया जाता है तो शर्त का पालन करना मान लिया जाय। उपरोक्त दोनों शर्तों को उक्त सीमा तक शिथिल किया जाता है।

4- जमानत लिये जाने के सम्बन्ध में मुख्यालय से परिपत्र संख्या-427, दिनांक 6-12-07 द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किये जा चुके हैं। संवेदनशील वस्तुऐं नामित नहीं की गयीं हैं, जो संवेदनशील वस्तुऐं चिन्हित की गयी हैं वह निम्न प्रकार हैं :-

(1) कोयला, (2) वनस्पति, पाम आयल, (3) आयरन एण्ड स्टील, (4) मैंथा आयल, (5) सुपारी, (6) पान मसाला/गुटखा, (7) पेपर ।

इन वस्तुओं के अलावा अन्य किसी वस्तु के पंजीयन के लिए परिपत्र संख्या-427, दिनांक 6-12-07 में अंकित की गई परिस्थितियों में ही जमानत मांगी जाय । पंजीयन के बाद यदि करापवंचन का मामला पाया जाता है तो जमानत / अतिरिक्त जमानत के बारे में नियमानुसार विचार किया जायेगा ।

5- आपके जोन में जो भी व्यापारी पंजीकृत हैं उनके यू0पी0टी0टी0, टिन नम्बर, नाम व पता नोटिस बोर्ड पर लगा दिये जायें तथा इसकी प्रतिलिपि सभी कार्यालयों में उपलब्ध रहे जिससे यदि कोई व्यापारी टिन नम्बर जानना चाहें तो उन्हें तुरन्त बता दिया जाये तथा उसकी बुकलेट बनवा कर हेल्प डेस्क पर रख दें जिससे जन सामान्य की जानकारी हेतु उपलब्ध रहे । इसके अतिरिक्त बुकलेट का व्यापारी संघ, अधिवक्ता संघ आदि को विलम्बतम् 15-1-2008 तक वितरण सुनिश्चित कर लिया जाय ।

6- केन्द्रीय पंजीयन का निस्तारण पूर्ववत् होता रहेगा परन्तु नम्बर का आवंटन वही किया जायेगा जो व्यापारी का टिन नम्बर है ।

7- केन्द्रीय / राज्य सरकार के विभागों का पंजीयन अधिकतम तीन दिन के अन्दर निस्तारण कर दिया जायेगा । जिन मामलों में जमानत नहीं लेना है उनका निस्तारण अधिकतम बीस दिन में कर दिया जायेगा । सरकारी प्रतिष्ठान / अर्ध सरकारी प्रतिष्ठान फडरेशन आदि के पंजीयन प्रार्थनापत्र भी त्वरित गति से प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किये जाये ।

8- प्रत्येक एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 / ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) का यह व्यक्तिगत दायित्व है कि उनके अधीन कार्यरत पंजीयन प्रकोष्ठ में की जाने वाली कार्यवाही की दैनिक मानीटरिंग करेंगें जिसमें दैनिक रुप से प्राप्त होने वाले पुराने व नये पंजीयन प्रार्थनापत्रों की सूचना निम्न निर्धारित प्रारुप में रखेगें तथा यह सूचना अपने पास रखेगें और मुझे भी दैनिक रुप से प्रेषित करेगें :-

<u>पुराने पंजीकृत व्यापारियों का प्रारुप</u>

पुराने पंजीकृत व्यापारियों से प्राप्त फार्म-VIII की संख्या	प्रगतिशील प्रार्थना पत्र-VIII की संख्या	कितने मामलो में बायोमेट्रिक डाटा लेने की कार्यवाही की गयी	कितने पंजीयन प्रमाण पत्र मामलों में फार्म-XI जारी किये गये	अवशेष
1	2	3	4	5

नये पंजीयन प्रार्थनापत्र का प्रारुप

नये प्राप्त होने वाले पंजीयन प्रार्थना पत्र की संख्या	प्रगतिशील प्रार्थनापत्र की संख्या	ल्कतने मामलो में बायोमेट्रिक डाटा की कार्यवाही की गयी	कितने पंजीयन प्रार्थना पत्रों में व्यापार स्थल की जांच की गयी	कितने पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी किये गये	अवशेष
1	2	3	4	5	6

9- उक्त कार्य में किसी भी स्तर पर कोई शिथिलता / लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। पूर्व में जारी निर्देश में अंकित समयावधि उक्त सीमा तक संशोधित समझी जाये।

(सुनील कुमार)
कमिश्नर वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश।

पृ0प0सं0 व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग,उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
(2) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
(3) सॅयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ (दो प्रतियो में)।
(4) अध्यक्ष/निबन्धक उत्तर प्रदेश व्यापार कर, लखनऊ एवॅ समस्त सदस्य व्यापार कर अधिकरण व्यापार कर,उ0प्र0।
(5) समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0/वि0 नु0शा0/अपील) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
(6) अपर निदेशक, सॅयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर, प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
(7) महालेखाकार, 171-ए, अशोक नगर, इलाहाबाद।
(8) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, सतर्कता अधिष्ठान, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ।
(9) प्रबन्धक, इसेंटिव, पिकप, राणाप्रताप मार्ग, लखनऊ।
(10) समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर,, उत्तर प्रदेश।
(11) सीनियर डिप्टी एकाउन्टेंट जनरल, रेवेन्यू आडिट विंग, स्टेट आफिस आफ द ए0जी0 ाडिट 11, सरोजनी नायडू मांर्ग, इलाहाबाद।
(12) विकास आयुक्त, नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंगं जोन, सेक्टर-10, नोयडा।
(13) ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमि0/असिस्टेन्ट कमिश्नर, सर्वोच्च न्यायालय कार्य वाणिज्य कर,, गाजियाबाद।
(14) ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमि0/असि0कमि0 (उ0न्या0कार्य0) वाणिज्य कर,लखनऊ / इलाहाबाद।
(15) मैअनुल अनुभाग/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमश: 5- 5 तथा 10प्रतियॉ।
(16) वैट अनुभाग मुख्यालय को 50 प्रतियॉ।
(17) समस्त डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेन्ट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तर प्रदे श।
(18) समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर,, मुख्यालय ।
(19) अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैलफेयर एसो0, 185/293, अमीनाबाद रोड, गणेश गंज, लखनऊ
(20) अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, सी-15, माल एवेन्यू, लखनऊ।
(21) श्री श्याम बिहारी मिश्र, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, 87/349, आर्या नगर, संगीत टाकिज के पीछे कानपुर
(22) श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, कंछल कुॅज, 66, शास्त्री नगर, लखनऊ।
(23) श्री संदीप बंसल, सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति, 29-बी, विधायक निवास दारुलसफा, लखनऊ।
(24) मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स, 14/26, सिविल लाइन्स, कानपुर।
(25) एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0, 4/180, विशाल खण्ड, पी0वी0-17, गोमती नगर, लखनऊ।
(26) पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0, 1-ए, ला-प्लास, शाहनजफ रोड, लखनऊ।
(27) अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्ड0, ऐशबाग रोड, लखनऊ।
(28) आल इन्डिया मैन्युफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन, डी-4, साइट संख्या-3, मेरठ रोड, इण्डस्ट्रीयल एरिया, गाजियाबाद।
(29) कनफेडरेशन आफ इन्डियन इण्ड0 एसोसिएसन, प्लाट-ए, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
(30) राज्य स्तरीय सलाहाकार समिति के सभी सदस्यों / सम्भागीय सलाहकार समिति के सदस्यों को सम्बंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) के माध्यम से।
(31) प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10 इन्जीनियर्स काम्पलेक्स, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली।
(32) शिव कुमार अरोडा, एडवोकेट, महा सचिव, उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसो0 जमुना बिहार, एस0एस0कालेज रोड, खतौली जिला मुजफ्फरनगर।

(33) श्री मदन मोहन भरतीया, एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उ0प्र0 शासन, 26/103, बिरहाना रोड, कानपुर
(34) प्रो0 डा0 सुरेन्द्र नाथ, डीन, फैकल्टी आफ लॉ, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस।
(35) प्रो0 श्रीमती रंजना कक्कड़, 15, टैगोर टाउन, इलाहाबाद।
(36) डा0 छेदी लाल साथी, ए-5/1579, इन्द्रा नगर, लखनऊ।
(37) श्री बी0एन0राय, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि यू0पी0टैक्स बार एसो0 45 चन्द्रिका कालोनी, सिगरा, वाराणसी।
(38) श्री अशोक धवन, सी के -24/1, कुँज गली, चौक, वाराणसी।
(39) श्री नेकी राम गर्ग, अध्यक्ष, पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, 707, पंचशील कालोनी, महाबीर चौक, मु0नगर।
(40) श्री पी0एस0जैन, 138-ए, ब्लाक-ए, सेक्टर-27, नोयडा।
(41) श्री ब्रित चावला, महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी) उ0प्र0 ट्रक आपरेटर्स, फेडरेशन (रजि0), पुलदाल मण्डी, सहारनपुर।
(42) श्री आर0डी0गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी, इलाहाबाद।
(43) श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा0ज0पा0 निवासी, 60-चाहचन्द, इलाहाबाद।
(44) श्री शैलेश मिश्रा, महामँत्री, लोहा व्यापार मंडल, उत्तर प्रदेश, 19-सुरेशबाग, कानपुर।
(45) इन्डियन इण्ड0एसो0, 159/ए-8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक, मु0नगर।
(46) संयोजक, टैक्सेशियों एकैडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो, वेस्टर्न यू0पी0 (रजि0)52,नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड, मेरठ।
(47) टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम, जयपुर हाऊस, आगरा ।
(48) श्री मलिक विजय कपूर, चेयरमैन, कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को0प0 स्टेट लि0, 51-बी, उद्योग नगर, कानपुर।
(49) श्री अनिल कुमार बंसल, दि यू0पी0रोलर फ्लोर मिलर्स, एसो0 3-एक्स, गोखले मार्ग, लखनऊ।
(50) श्री दिनेश आरोरा, उ0प्र0 वनस्पति प्रोडूयसर्स एसो0, 51/58-ए, शक्कर पट्टी, कानपुर।
(51) श्री नन्द लाल, उपाध्यक्ष, उ0प्र0 टेन्ट व्यापार एसो0 565/566, राजेन्द्र नगर, लखनऊ।
(52) श्री हुलास राय सिंघल, प्रदेश अध्यक्ष, एफ-3, पार्क रोड, लखनऊ।
(53) श्रीअरुण कुमार अवस्थी, प्रान्तीय सॅगठन मन्त्री, अखिल भारतीय उदयोग व्यापार मण्डल, (पॅजी0) बी-29, विधायक निवास, दारुल शफा, लखनऊ।
(54) माननीय अध्यक्ष, व्यापार कर सलाहकार समिति, सचिवालय, लखनऊ।
(55) श्री गोपाल अग्रवाल, राष्ट्रीय महामंत्री आल इण्डिया उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल, 27-ए, मिशन कम्पाउन्ड, मेरठ।
(56) श्री दिनेश चन्द्र मित्तल, उपाध्यक्ष, उ0प्र0 कागज कापी व्यवसायी संघ, 6/6-ए, बी0एन0रोड, अमीनाबाद, लखनऊ।
(57) अध्यक्ष, आई0 ई0ए0 इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन भवन, विभूति खण्ड, फेस-2, गोमती नगर, लखनऊ-226010 फोन नं0 2720097।
(58) वैट लॉ जनरल, 10 नगर निगम कम्पाउन्ड, कैसर गंज रोड, मेरठ ।
(59) वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल, मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी0) मण्डल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा, सादाबाद गेट ,हाथरस।

(सुनील कुमार)
कमिश्नर वाणिज्य कर,उ0प्र0 लखनऊ।